

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीयागी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद गीना आर.ए.एस
उनवान

1. माधोसिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत
 2. सुरेश पुत्र कल्याण सिंह राजपूत
 3. कृपाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत
 4. फतेहसिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत
 5. मु० अनिता पत्नि भूपसिंह राजपूत
 6. पूरनसिंह पुत्र भूपसिंह राजपूत
- निवासीयान पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. बलवीरसिंह पुत्र गजराज सिंह
 2. मानसिंह पुत्र गजराज सिंह
 3. भगवान सिंह पुत्र गजराज सिंह
 4. सतवीर सिंह पुत्र गजराज सिंह
 5. चन्दन सिंह पुत्र बहादुरसिंह
 6. महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह
- समस्त जातियान राजपूत निवासी पाडला तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम।
सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।

(प्रतिवादीगण)

मु०न० 121 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिरमल कतई रुबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट,
मिनकानिब गुदई रुबरु हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादीगण की और से प्रस्तुत दावा बावत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज
किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के
मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....
अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.08.2021 को जारी की
गई।

(दुर्गा प्रसाद गीना)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प बकाल नामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील
महनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर
फीस कमीशनर			बावत इजराय हुकमनामा
बावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक
मुतफरिक			